न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 359/2023
दावा अ. धारा 88,53,48,49 आर.टी.ए.

1. खेतपाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
2. किरणपाल कौर पत्नी सुखजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)(नाम कलमजन)
3. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)(नाम कलमजन)
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)(नाम कलमजन)
5. वीरपाल कौर पत्नी हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
6. गुरजंट सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
7. टीका सिंह पुत्र श्री गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. रोशनी पुत्री श्री हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
2. लिछमा देवी पत्नी श्री हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
3. विमला देवी पत्नी श्री हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
5. विक्रम कुमार सिंगला पुत्र श्री राधेश्याम सिंगला जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री [illegible] एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 की ओर से :- श्री गुर[illegible] सिंह कलसी, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 13.8.24

लगातार --2

वकील वादीगण ने उक्त दावा इन तथ्यों के आधार पर पेश किया कि वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम चक 1 एम.जे.डी. खाता सं. 106/70 खाता खेतपाल वगैरा में कुल 4.706 है. आराजी तथा वादी सं. 2 ता 5 के नाम चक 1 एम.जे.डी. के खाता सं. 13/8 खाता किरणपाल कौर वगैरा इसी प्रकार वादी स. 2 ता 5 के नाम चक 1 एम.जे. डी. खाता स. 13/8 खाता किरणपाल कौर वगैरा में कुल 1.556 है. आराजी सांझा खाता में दर्ज है व वादी स. 1 व वादी स. 6 के नाम चक 1 एम.जे. डी. खाता स. 14/72 खाता किरणपाल कौर वगैरा में कुल 0.632 है. आराजी सांझा खाता में दर्ज है व वादी स. 1 व वादी स. 7 के नाम चक 3 एम.जे. डी. खाता स. 12/71 खाता किरणपाल कौर वगैरा में 1.354 है. आराजी सांझा खाता में दर्ज है व वादी स. 3 ता 6 के नाम चक 1 एम.जे.डी. खाता सं. 88/69 खाता गुरजण्ट सिंह वगैरा में सांझा खाता में 1.031 है. आराजी दर्ज है। उक्त चको के उक्त खातो की नकल जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है। चक 1 एम.जे.डी. खाता स. 106/70 खाता खेतमाल वगैरा ज.स. 2070-73 में दर्ज प्रति सं. 1 ता 3 ने अपना समस्त हिस्सा वादी स. 1 खेतपाल के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इस प्रकार इस खाता की कुल 4.706 है. आराजी का वादी स. 1 खेतपाल खातेदार काश्तकार हो गया है। जिसमें से वादी स. 1 ने 1.012 है. आराजी का तबादला वादी स. 2 ता 5 के साथ कर लिया है। अतः इस खाता में वादी सं. 1 के हिस्सा की आराजी मे से 1.012 है. आराजी के वादी स. 2 ता 5 खातेदार काश्तकार हो गये है। अतः इस खाता की कुल 4.706 है. आराजी मे से 3.894 है. आराजी का वादी सं. 1 खेतपाल व 1.012 है. आराजी के वादी सं. 2 ता 5 किरणपाल कौर, सुखजिन्द्र सिह, वीरपाल कौर व राजेन्द्र सिह खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी स. 2 ता 5 प्राप्त करना चाहते है। चक 3 एम. जे.डी. खाता सं. 12/71 खाता किरणपाल कौर वगैरा ज.स. 2072-75 में वादी स. 2 के नाम दर्ज आराजी में से वादी स. 2 ने अपने हिस्सा की आराजी मे से 0.506 है. आराजी वादी सं. 1 को तबादला में दे दी है। अतः इस खाता की कुल 1.354 है. आराजी मे 0.506 है. आराजी वादी स. 1 के हिस्सा की व 0.848 है. आराजी वादी सं. 7 के हक व हिस्सा की है व चक 1 एम.जे.डी. खाता स. 13/8 खाता [illegible] ज.स. 2070-73 में वादी स. 2 ता 5 के नाम [illegible] जिसमें से वादी सं. 2 ता 5 ने 0.253 है. आराजी [illegible] को दे दी है। अतः इस खाता की कुल आराजी मे [illegible] का तबादला अनुसार वादी स. 1 खेतपाल व 1.303 है. आराजी के वादी सं. 2 ता 5

लगातार --3

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खातेदार काश्तकार है व चक 1 एम.जे.डी. खाता सं. 14/72 खाता किरणपाल कौर वगैरा ज.सं. 2070-73 में वादी सं. 2 ने 0.253 है. आराजी तबादला में वादी सं. 1 को दी है। अतः अब इस खाता की कुल 0.632 है. आराजी मे 0.253 है. आराजी का हक वादी सं. 1 खेतपाल का व 0.379 है. आराजी का हक वादी सं. 6 गुरजण्ट सिंह का है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री हम वादीगण प्राप्त करना चाहते है। दावा की दफा 2 में दर्ज कुल भुमि का दावा की दफा 3 व 4 के अनुसार वादी सं. 1 ता 5 द्वारा आपस में किये गये तबादला व घरू विभांजन अनुसार वादीगण को दावा की दफा 6 के मुताबिक आराजी प्राप्त हुई है। जिसका विवरण दावा की दफा 6 में वर्णित है। वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चला आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही हैं। लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम इसी अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण उनके खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण को मुताबिक तबादला दावा की दफा 3 व 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान लें तथा वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद करवा देवें। लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा वकील वादीगण द्वारा सम्मन तलवाना पेश होने के बाद प्रतिवादीगण की तलवी हेतु सम्म्न जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से जरिये वकील श्री गुरमीत सिंह कलसी एडवोकेट ने जवाब दावा पेश किया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वादीगण के वाद से पूर्णतः सहमति व्यक्त की गई। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर सहमति जारी की है इसलिये जवाब उल जवाब तथा तनकीआत की कोई आवश्यक्ता नही हैं। प्रविताादी सं. 4 की ओर से जरिये राजपैरोकार जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्षय वादी में वकील वादीगण द्वारा वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र श्री हेतराम का शपथ पत्र अं.आदेश 18 नियम 8 सी.पी.सी. पेश किया जो शामिल किया गया तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। प्रार्थी विक्रम कुमार सिंगला पुत्र श्री राधेश्याम सिंगला की ओर [illegible] वकील गुरमीत सिंह कलसी प्रार्थना पत्र अं.आदेश 1 नियम [illegible] आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. पेश किया कि किरणपाल कौर पत्नी [illegible] सुखजिन्द्र सिंह तथा सुखजिन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह तथा राजेन्द्र सिंह [illegible] श्री हरबंस

लगातार --4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिंह बतौर वादी सं. 2 ता 4 के रूप में पक्षकार है। वादी सं. 2 ता 4 के नाम दर्ज चक 1 एम.जे.डी. तथा चक 3 एम.जे.डी. की कृषि भूमि तथा दावा की दफा 5 के खण्ड बी में वर्णित उनके कब्जा काश्त की कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा मुझ प्रार्थी ने खरीद कर ली है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुका है जिसकी चक 3 एम.जे.डी. के खाता सं. 12/71 तथा चक 1 एम.जे.डी. के खाता सं. 14/72 व 13/8 व 88/69 व 106/70 की जमाबंदिया सलंगन प्रार्थना पत्र है। चुंकि वादी सं. 2 ता 4 ने अपना समस्त हक व हिस्सा तथा वादिया सं. 5 वीरपाल कौर पत्नी श्री हरबंस सिंह ने अपना 0.932 हैक. हिस्सा मुझ प्रार्थी को बेचान कर दिया है तथा उक्त कृषि भूमि के बेचान के बाद मौका पर वादी सं. 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नही है जबकि वादिया सं. 5 का 0.076 हैक. कृषि भूमि पर ही कब्जा है। इसलिए प्रार्थी वादी सं. 2 ता 4 का नाम दावा शीर्षक में से कलमजन करवाना चाहता है तथा उक्त कृषि भूमि सांझा खातों में दर्ज होने के कारण तथा प्रार्थी बतौर सहखातेदार होने के कारण प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी सं. 5 के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादीगण को दिलवाई गई तथा वकील वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नही करने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वादी सं. 2 ता 4 का नाम दावा शीर्षक में से लाल स्याही से कलमजन किया गया तथा प्राथी विक्रम कुमार सिंगला पुत्र श्री राधेश्याम सिंगला जाति अग्रवाल निवासी संगरिया को बतौर प्रतिवादी सं. 5 के रूप मे पक्षकार बनाया जाकर इनका नाम दावा शीर्षक में लाल स्याही से संयोजित किया। वादी सं. 1 तथा 5 एवं प्रतिवादी सं. 5 की ओर से हाजिर अदालत राजीनामा पेश किया गया जो कि उभय पक्ष को पढाया एवं सुनाया जाकर तस्दीक किया गया तथा उक्त राजीनामा प्रस्तुत दोनो पक्षो की पहचान वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई। वकील वादीगण द्वारा अन्य साक्षय पेश नही करने के कारण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा साक्षय प्रतिवादीगण पेश नही करने के कारण साक्षय बंद किये गये। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण का आपस में कोई विवाद नही है तथा वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा से उक्त वाद पूर्णतः साबित है। इसलिये उक्त दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --5

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

-::क्रियात्मक आदेश::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 5 का खाता अलग-अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा राजीनामा के खण्ड (क) ता (घ) के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रकमराज अलग-अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक वादी सं. 1 तथा वादी सं. 5 ता 7 को एवं प्रतिवादी सं. 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा चक 1 एम.जे.डी. के खाता सं. 12/71 में वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र श्री हेतराम का 0.012 है. हिस्सा कम किया जाकर इतना हिस्सा वादी सं. 7 टीका सिंह पुत्र श्री गुरजंट सिंह का बढाया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 14/72 में वादी सं. 6 गुरजंट सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह का 0.011 है. हिस्सा कम किया जाकर 0.011 है. हिस्सा वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र हेतराम का बढाया जावे तथा चक 1 एम.जे.डी. खाता सं. 106/70 खाता खेतपाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में दर्ज कुल 3.694 है. आराजी का वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र हेतराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 359/2023

---

1. खेतपाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
2. किरणपाल कौर पत्नी सुखजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निंवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)(नाम कलमजन)
3. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)(नाम कलमजन)
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)(नाम कलमजन)
5. वीरपाल कौर पत्नी हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
6. गुरजंट सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
7. टीका सिंह पुत्र श्री गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

-वादीगण

बनाम्

1. रोशनी पुत्री श्री हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
2. लिछमा देवी पत्नी श्री हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
3. विमला देवी पत्नी श्री हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)
5. विक्रम कुमार सिंगला पुत्र श्री राधेश्याम सिंगला जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री नक्षत्र सिंह सि...

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 की ओर से :- श्री गुरप्रीत ... कल... एड...

निर्णय दिनांक ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 I
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दावा अ. धारा 88, 53, 48, 49 आर.टी.ए.

दिनांक :- ....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री गुरमीत सिंह कलसी** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है तथा वादी सं. 1 तथा 5 ता 7 तथा प्रतिवादी सं. 5 का खाता मुताबिक राजीनामा अलग-अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 1 एम.जे.डी. के खाता सं. 12/71 में वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र श्री हेतराम का 0.012 है. हिस्सा कम किया जाकर इतना हिस्सा वादी सं. 7 टीका सिंह पुत्र श्री गुरजंट सिंह का बढाया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 14/72 में वादी सं. 6 गुरजंट सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह का 0.011 है. हिस्सा कम किया जाकर 0.011 है. हिस्सा वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र हेतराम का बढाया जावे तथा चक 1 एम.जे.डी. खाता सं. 106/70 खाता खेतपाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में दर्ज कुल 3.694 है. आराजी का वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र हेतराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जावे। वादी सं. 1 तथा 5 ता 7 एवं प्रतिवादी सं. 5 का खाता निम्नानुसार अलग-अलग कायम किया जाता हैः-

(क) वादी सं. 1 खेतपाल पुत्र श्री हेतराम के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 3 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 खाता सं. 12/71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/179	17	3/0.164 है., 4/0.253 है., 8/0.089 है.,
		कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 13/8

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/178	28	6/0.126 है., 15/0.127 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 14/72

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/178	27	23/0.127 है., 24/1/0.126 है.,
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 106/70 में दर्ज कुल 3.694 हैक. कृषि भूमि

(ख) वादीया सं. 5 वीरपाल कौर पत्नी श्री हरबंस सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 88/69

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/177	9	14/2/0.076 है.,
		कुल 0.076 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 5 विक्रम कुमार सिंगला पुत्र श्री राधेश्याम सिंगला के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 88/69

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/177	9	19/2/0.139 है., 22/2/0.196 है.,
		23/2/0.127 है., 25/2/0.107 है.,
		25/4/0.013 है. गै.मु. खाला,
		25/5/0.006 है. गै.मु. रास्ता,
		कुल 0.588 है. कृषि भूमि मय गै.मु.
174/178	28	5/1/0.114 है.,
		कुल 0.114 है.,

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 13/8

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/178	28	6/0.127 है., 14/0.253 है., 15/0.126 है.,
		कुल 0.506 है.,

(घ) वादी सं. 6 गुरजंट सिंह पुत्र हरनेक सिंह का हिस्सा :-

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 14/72

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/178	27	22/0.253 है., 23/0.126 है.,
		कुल 0.379 है.,

चक 1 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 88/69

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/177	9	13/0.253 है.,
		कुल 0.253 है.,

(च) वादी सं. 7 टीका सिंह पुत्र श्री गुरजंट सिंह का हिस्सा :-

चक 3 एम.जे.डी. के खाता सं. 12/71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/179	17	1,2/0.253 है.प्र., 3/0.089 है., 9/0.253 है.,
		कुल 0.848 है.,

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

मुनिफा......×.... निल ....×.... मुब्लिक ....×.........निल ....×.... बाबत् ...×...
...निल.......×........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......×...........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ...13.8.24... को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:01 IST
Reason: SelfAttested